Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188–2020/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 15, 2020 (AGRAHAYANA 24, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
मन्त्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 15 दिसम्बर, 2020.

संख्या 6/7/2020 –1मंत्रिमंडल.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) पांचवा संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आंबटन) नियम, 1974, में अनुसूची में,

I. (i) ''आवास विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, आवास विभाग के माध्यम से)'' शीर्ष के स्थान पर, ''सर्वस्व आवास विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, सर्वस्व आवास के माध्यम से)'' शीर्ष, प्रतिस्थापित किये जाएगा;

(ii) उक्त शीर्ष के नीचे, विद्यमान क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

''1. हरियाणा आवासन बोर्ड अधिनियम, 1971 (1971 का 20) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन ।

2. हरियाणा आवासन बोर्ड का प्रशासन ।

3. निम्नलिखित आवासन स्कीमों का कार्यान्वयन :–

(i) भूमि अर्जन और विकास स्कीम।

(ii) निम्न आय समूह आवासन स्कीम।

(iii) मध्य आय समूह आवासन स्कीम ।

(iv) भाड़ा आवासन स्कीम ।

(v) ग्रामीण आवासन स्कीम।

(vi) आर्थिक सहायताप्राप्त औद्योगिक आवासन स्कीम।

4. आवासन स्कीम (स्कीमों) के संबंध में राज्य सलाहकार समिति का गठन ।

5. प्रधान मंत्री आवास योजना–शहरी तथा ग्रामीण का कार्यान्वयन ।

6. राजीव आवास योजना का कार्यान्वयन ।

7. भारत सरकार अथवा हरियाणा सरकार द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली किसी अन्य आवासन योजना का कार्यान्वयन ।

8. राज्य में सभी आवासन स्कीमें जिनमें उनका सूत्रीकरण, प्रस्ताव, योजना, बजट तथा कार्यान्वयन भी शामिल है।

9. विभिन्न आवास स्कीमों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करना तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासन के विस्तार, सुधार और विकास के लिए उनका कार्यान्वयन ।

10. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आवास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय निकाय के साथ सहयोग करना।

11. विभाग के लिए पूंजी और राजस्व बजट तैयार करना और विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना ।

12. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले ।

13. उपरोक्त से संबंधित या आनुषंगिक कोई अन्य मामला । " ।

II. "उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, विद्यमान क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"1. निम्नलिखित अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गये नियमों का प्रशासनः–

(i) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम 5) ;

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) ;

(iii) पूर्वी पंजाब कारखाना (विखण्डकरण नियन्त्रण) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 20) ;

(iv) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का कन्द्रीय अधिनियम 4) ;

(v) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम 74) ;

(vi) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का केन्द्रीय अधिनियम 65) ;

(vii) वाणिज्य अधिनियम (बैंकिग बीमा सहित) ;

(viii) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) ;

(ix) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम 30) ;

(x) पंजाब उद्योग राज्य–सहायता अधिनियम, 1935 (1935 का पंजाब अधिनियम 5) ;

(xi) पंजाब खादी–ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 (1956 का पंजाब अधिनियम 40) ;

(xii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का केन्द्रीय अधिनियम 27) ;

(xiii) हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) ;

(xiv) हरियाणा उद्यम प्रोन्नति अधिनियम, 2016 (2016 का 6) ;

(xv) अग्रित व्यापार अधिनियम ;

(xvi) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67) ।

2. माल का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियंत्रण ।

3. उद्योगों का विकास ।

4. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिकारियों से संबंधित स्थापना मामले ।

5. सरकार द्वारा वृहत उद्योगों पर अधिरोपित आबकारी शुल्क से संबंधित मामले ।

6. निर्यात प्रोन्नति।

7. हरियाणा वित्तीय निगम ।
8. हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम
9. औद्योगिक उत्पादों से संबंधित आयात और निर्यात ।
10. औद्योगिक संपदा, उपनिवेश और क्षेत्र ।
11. औद्योगिक प्रदर्शनियाँ ।
12. औद्योगिक आसूचना ब्यूरो ।
13. आविष्कार और डिजाईन (वैज्ञानिक अनुसंधान) ।
14. वृहत् उद्योग से संबंधित सभी मामले।
15. विपणन संगठन (कपड़ा) ।
16. रेलवे उपयोगकर्ता सलाहकार समिति ।
17. संभार–तंत्र।
18.. ई–वाणिज्य–विनियमन और विकास ।
19. औद्योगिक नीति और प्रोन्नति ब्यूरो ।
20. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति बोर्ड ।
21. कार्यकारी सशक्त समिति ।
22. हरियाणा उद्यम प्रोन्नति केन्द्र।
23. निर्यात प्रोन्नति और अन्तराष्ट्रीय सहयोग ।
24. जिला उद्योग केन्द्र ।
25. भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।
26. खनिज रियायत नियम, 1949 और पेट्रोलियम रियायत नियम, 1949 सहित खनिज संसाधन।
27. शल्य उपकरण केन्द्र, सोनीपत।
28. सामान्य सुविधाएं केन्द्र ।
29. कुटीर उद्योग ।
30. क्रेडिट गारंटी ।
31. ग्रामीण औद्योगिक विकास केन्द्र ।
32. हस्तशिल्प ।
33. हथकरघा और बिजली चालित करके ।
34. हरियाणा राज्य लद्यु उद्योग और निर्यात निगम।
35. औद्योगिक पुनर्वास ऋण योजना ।
36. लोहा, स्टील और कोयला सहित औद्योगिक आपूर्ति ।
37. गुणवत्ता विपणन केन्द्र।
38. ग्रामीण औद्योगीकरण ।
39. रेशम उत्पादन तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।
40. लद्यु उद्योग ।
41. निर्माण केन्द्र।
42. हरियाणा सूक्ष्म और लद्यु उद्यम सुकरीकरण परिषद् ।
43. जिला सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम केन्द्र ।
44. हरियाणा हथकरघा और हस्तशिल्प निगम ।
45. औद्योगिक विकास केन्द्र/उपकरण कक्ष ।
46. कलस्टर विकास ।
47. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम के लिये निर्यात प्रोन्नति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

48. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम आपूर्ति श्रृंखला और विक्रेता विकास ।

49. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम प्रोन्नति विकास और सुकरीकरण ।

50. निवेश प्रोन्नति और वित्तीय सेवाएं ।

51. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम का पंजीकरण ।

52. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम की परिभाषा के अनुसार व्यवसायों का सुकरीकरण और विकास ।

53. सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम क्रेडिट लिंकेज (भारतीय लद्यु उद्योग विकास बैंक/अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था तथा राज्य स्तरीय बैंकर समिति के साथ बैठकें) ।

54. भारत सरकार के सूक्ष्म, लद्यु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सम्बन्धित मामले।

55. व्यापार कल्याण बोर्ड।

56. कृषि औजार और मशीनरी।

57. कृषि उद्योग।

58. आपूर्तिकर्ताओं की काली सूची।

59. आपूर्ति और निपटान निदेशालय। ''

चण्डीगढ़ :
दिनांक 9 दिसम्बर, 2020.

सत्यदेव नारायण आर्य,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 11 दिसम्बर, 2020.

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

CABINET SECRETARIAT

Order

The 15th December, 2020

No. 6/ 7/2020,- 1Cabinet.— In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Satyadeo Narain Arya, Governor of Haryana, hereby make the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules,1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Fifth Amendment Rules, 2020.

2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule,-

(I) (i) for the heading "HOUSING DEPARTMENT (Through the Secretary to Government Haryana, Housing Department)" the heading "HOUSING FOR ALL (Through the Secretary to Government Haryana, Housing for All Department)" shall be substituted :-

(ii) under the said heading, for existing serial numbers and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"1. Administration of the Haryana Housing Board Act, 1971 (20 of the 1971) and rules made thereunder.

2. Administration of the Haryana Housing Board.

3. Implementation of Housing Schemes e.g.

(i) Land Acquisition and Development Scheme.

(ii) Low Income Group Housing Scheme.

(iii) Middle Income Group Housing Schemes.

(iv) Rental Housing Scheme.

(v) Rural Housing Scheme.

(vi) Subsidised Industrial Housing Scheme.

4. Constitution of State Advisory Committee in respect of Housing Scheme(s)

5. Implementation of Pardhan Mantri Awas Yojna-Urban.

6. Implementation of Rajiv Awas Yojna.

7. Implementation of Any other Housing Scheme to be launched by GOI/Government of Haryana.

8. All Housing development schemes including formulation, proposal, planning, budget and their implementation in the State.

9. Preparation of project report of various housing schemes and their implementation for the expansion, improvement and development of housing in Urban and Rural areas.

10. Collaboration with any national or international body for implementation of housing schemes for rural and urban areas.

11. Preparation of the Capital and Revenue Budget for the Department and monitoring the Implementation of various schemes.

12. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the personnel, Administrative reforms and Training Department.

13. Any other matter connected with or incidental to above.";

II. Under the heading, "Industries and Commerce Department (Through the Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department) for existing serial numbers and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted namely:-

" 1. Administration of the following Acts and the Rules made there under:-

(i) Indian Boilers Act, 1923 (Central Act 5 of 1923);

(ii) Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);

(iii) East Punjab Factories (Control of Dismantling) Act, 1948 (East Punjab Act 20 of 1948);

(iv) Explosives Act, 1884 (Central Act 4 of 1884);

(v) The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (Central Act 74 of 1952) ;

(vi) Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (Central Act 65 of 1951) ;

(vii) Merchandise Act, (including Banking insurance) ;

(viii) Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932) ;

(ix) Petroleum Act, 1934 (Central Act 30 of 1934) ;

(x) Punjab State Aid to Industries Act, 1935 (Punjab Act 5 of 1935) ;

(xi) The Punjab Khadi and Village Industries Board Act, 1955 (Punjab Act 40 of 1956) ;

(xii) The Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 (Central Act 27 of 2006) ;

(xiii) Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (1 of 2012) ;

(xiv) The Haryana Enterprises Promotion Act, 2016 (6 of 2016) ;

(xv) Forward Trading Act ;

(xvi) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Central Act 67 of 1957).

2. Control of Production, Supply and Distribution of Goods.
3. Development of Industries.
4. Establishment matters relating to the officers administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration department.
5. Excise duty imposed by the Government on large-scale industries-matter relating to.
6. Export Promotion.
7. Haryana Financial Corporation.
8. Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation.
9. Imports and Exports Relating to Industrial Products.
10. Industrial Estate, Colonies and Areas.
11. Industrial Exhibitions.
12. Industrial Intelligence Bureau.
13. Inventions and Designs (Scientific Research).
14. Large scale Industries all matters relating to.
15. Marketing Organization (Textiles).
16. Railways Users Consultative Committee.
17. Logistics.
18. E-Commerce-Regulation and Development.
19. Bureau of Industrial Policy and Promotion.
20. Haryana Enterprise Promotion Board.
21. Executive Empowered Committee.
22. Haryana Enterprise Promotion Centre.
23. Exports Promotion and International Cooperation.
24. District Industries Centres.
25. Geological surveys.
26. Mineral resources including Mineral Concession Rules, 1949 and Petroleum Concession Rules, 1949.
27. Surgical Instruments Centre, Sonepat.

28. Common Facilities Centre.
29. Cottage Industries.
30. Credit Guarantee.
31. Rural Industrial Development Centre.
32. Handicrafts.
33. Handlooms and Powerlooms.
34. Haryana State Small Scale Industries and Export Corporation.
35. Industrial Rehabilitation Loan Scheme.
36. Industrial Supplies including Iron, Steel and Coal.
37. Quality Marketing Centres.
38. Rural Industrialization.
39. Sericulture and Central Silk Board.
40. Small Scale Industries.
41. Work Centres.
42. Haryana Micro and Small Enterprise Facilitation Council.
43. District MSME Centres.
44. Haryana Handloom and Handicrafts Corporation.
45. Industrial Development Centres /Tool Rooms.
46. Cluster Development.
47. Exports Promotion and International Cooperation for MSME.
48. MSME Supply Chain and Vendor Development.
49. MSME Promotion Development and Facilitation.
50. Investment Promotion and Financial Services.
51. Registration of MSME.
52. Facilitation and development of businesses as per definition of MSME.
53. MSME Credit Linkages (with SIDBI/other FIs and SLBC Meetings).
54. Matters relating to Ministry of MSME, Government of India.
55. Traders Welfare Board.
56. Agriculture Implements and Machinery.
57. Agro-Industries.
58. Black Listing of Suppliers.
59. Directorate of Supplies and Disposals."

Chandigarh:
The 9th December, 2020.

SATYADEO NARAIN ARYA,
Governor of Haryana,

Chandigarh:
The 11th December, 2020.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.

9001—C.S.—H.G.P. Pkl.